न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः– 15/2019 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2019/00042**

1. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (राजस्व)

– अपीलान्ट

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र ताराचंद जाति विश्नोई निवासी चक 24 बी बी तहसील पदमपुर। (मृतक)

1/1 श्रीमती कमला देवी पत्नि स्व. ओमप्रकाश

1/2 अरूण पुत्र ओमप्रकाश

1/3 संदीप पुत्र ओमप्रकाश

1/4 प्रदीप पुत्र ओमप्रकाश

– रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः मो. इम्तियाज अली राजकीय अभिभाषक
श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 19.03.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के आदेश दिनांक 19.07.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ओमप्रकाश पुत्र ताराचंद(मृत्तक) ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि तहसील पदमपुर के चक 24 बी.बी. के मुरब्बा नम्बर 129 के किला नम्बर 1,2,3,1,9,13,17 व 25 में गैर–मुमकिन खाला की जमीन 0.228 हैक्टयर को रकबा राज घोषित किया जाकर रेस्पोडेन्ट के खाता में सम्मिलित करने, इंतकाल दर्ज करने तथा चक 24 बी.बी के मुरब्बा नं. 129 के खसरा संख्या 162 में शुद्धिकरण का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के उक्त प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेते हुए उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा दिनांक 19.07.2018 को चक 24 बीबी के मु.न 129 के किला न. 1,9,17,13,25,1,2,3 में दर्ज खाला को निरस्त किया जाकर उक्त निरस्त खाले का रकबा नियमानुसार

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

ओमप्रकाश पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई के खाते में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 19.07.2018 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलांट मो. इम्तियाज अली ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ओमप्रकाश पुत्र ताराचंद(मृत्तक) ने अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन भूमि आवंटन करवाने हेतु अपने खाते में दर्ज करवाने बाबत प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर ने तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में उक्त वादग्रस्त खाला भूमि गैर मुमकिन खाला (सिवायचक) खसरा संख्या 162/0.228 रिकार्ड में दर्ज बताया। तहसीलदार रिपोर्ट में उक्त भूमि को गैर मुमकिन खाला भूमि रिकार्ड में दर्ज बताये जाने के बाद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खाला भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते में दर्ज किये जाने के आदेश दिये, जबकि खाला भूमि को खाते में दर्ज किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजकोष को हानि पहुंचाते हुए, बिना कोई आवंटन प्रक्रिया अपनाये, अपीलाधीन आदेश पारित कर कानूनी भूल की है। ऐसी भूमि जो खाता संख्या 9 में राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज होते हुए भी, ऐसी सरकारी भूमि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए उसके नाम दर्ज करने का आदेश देकर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.07.2018 निरस्त किया जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स श्री विजय कुमार पारीक ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.07.2018 की शुरू से ही जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय प्रोसेडिंग में तहसीलदार हाजिर थे। स्टेट को अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील पेश करने की लोकसस्टेण्डाई नही है क्योंकि सरकार अपीलाधीन आदेश से एग्रीव्ड नहीं है तथा स्वयं अपील में लिखते है कि अन्य काश्तकारों को नोटिस नहीं दिया गया। तहसीलदार पदमपुर की रिपोर्ट में वादग्रस्त खाला भूमि पर मौके पर ओमप्रकाश पुत्र ताराचन्द जाति बिश्नोई काबिज बताया गया है और मोके पर खाला चालू नही बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 19.07.2018 सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जावे। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी लिखित बहस में निम्नलिखित आर.आर. डी. का हवाला दिया हैं–

1.	आर.आर.डी. 1998 पेज संख्या 98	2.	आर.आर.डी. 1987 पेज संख्या 179
3.	आर.आर.डी. 1986 पेज संख्या 22	4.	आर.आर.डी. 1984 पेज संख्या 261
5.	आर.आर.डी. 1999 पेज संख्या 619	6.	आर.आर.डी. 2013 पेज संख्या 189

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपील के संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है। वादग्रस्त खाला भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गैर–मुमकिन खाला भूमि दर्ज है और गैर–मुमकिन खाला भूमि को किसी व्यक्ति विशेष के खाते में दर्ज नहीं किया जा सकता है। भूमि के किस्म में परिवर्तन करने के पश्चात ही आवंटन की नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर ही आवंटन किया जा सकता है। उपखण्ड अधिकारी पदमपुर ने राजकोष को हानि पहुंचाने का कार्य किया है। उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.07.2018 उचित प्रतीत नहीं होता। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 19.07.2018 निरस्त किया जाता है। **साथ ही जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त अपीलाधीन प्रकरण में तात्कालीन उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के विरूद्ध कार्यवाही हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।**

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/3/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर